न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

2

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 42/2018

1. शंकर वल्द बनाराम जाति नायक निवासी दूधवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. सुलतान पुत्र बनाराम जाति नायक निवासी दूधवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. कैलाश पत्नि हेतराम जाति नायक निवासी दूधवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. रविकुमार पुत्र हेतराम जाति नायक निवासी दूधवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. ममता पुत्री हेतराम जाति नायक निवासी दूधवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. सरोज पुत्री हेतराम जाति नायक निवासी दूधवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. राय साहब जाति नायक निवासी दूधवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. मोहन पुत्र जोधाराम जाति नायक निवासी दूधवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. सन्तो पुत्री जोधाराम जाति नायक निवासी दूधवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. रेशमी पुत्री जोधाराम जाति नायक निवासी दूधवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. सरस्वती पत्नि जोधाराम जाति नायक निवासी दूधवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए

उपस्थित :–

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. राजपैरोकार — अप्रार्थी सं. 11

निर्णय **दिनांक :– 25.1.19**

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) के तहत इन अभिकथनों के साथ पेश किया कि प्रार्थी के नाम चक 2 आर खाता सं. 61/53 मे प.न. 94/331 मु.न. 29 कि.न. 5/0.248, 15/0.248, 16/0.248, 25/0.248 कुल 1.240 है0 भूमि कमाण्ड राजस्व रिकार्ड दर्ज है। अप्रार्थी स 1 सुलतान के नाम चक 2 आर खाता सं. 68/60 प.न. 94/331 मु.न. 29 कि.न. 4/0.243, 5/1/0.005 6/0.005, 7/0.243, 14/0.243, 15/1/0.005, 16/1/0.005, 17/0.243, 24/0.243, 25/1/0.005 कुल 1.240 है0 व अप्रार्थी सं. 2 ता 9 के नाम इसी चक के खाता सं. 80/72 प.न. 94/331 मु.न. 29 कि. न. 3/0.238, 4/1/0.010, 7/0.010, 8/0.238, 13/0.238, 14/1/0.010, 17/1/0.010, 18/0. 238, 23/0.238, 24/1/0.010 कुल 1.240, व इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 10 के नाम इसी के खाता स. 63/54 प.न. 94/331 मु.न. 29 कि.न. 2/0.233, 3/1/0.015, 8/1/0.015, 9/0.233, 12/0.233. 13/1/0.015, 18/1/0.015, 19/0.233, 22/0.253, 23/1/0.015 कुल 1.240 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 10 एक ही परिवार के सदस्य है तथा दावा की दफा 3 मे वर्णित भूमि पूर्व प्रार्थी के पिता की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात उनके वारिसान ने रास्ता खाला की सुविधा अनुसार अपना घरूबंटवारा कर लिया है तथा उसी अनुसार खाता विभाजन भी करवाया है मुताबिक बटवारा चक 2 आर प.न. 94/331 मु.न. 29 कि.न. 21 ता 24 मे दक्षिणी दिशा मे पूर्व पश्चिम मे प्रत्येक किला मे 0. 010 है0 भूमि रास्ता की भूमि छोडी गई थी, रास्ता की भूमि के बदले सभी काश्तकारान ने अपनी अपनी भूमि अन्य काश्तकारान को छोड रखी है तथा आज भी मौका पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे अभी तक रास्ता अंकन न होने के कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवाद रहता है तथा अप्रार्थी स 1 कि.न. 24 मे रास्ता मे प्रयोग होने वाली 0.010 है0 आवागमन मे बाधा कारित करता है बाधा उत्पन्न करने की धमकी दे रहा है जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आवागमन मे परेशानी का सामना करना पडता है। अतः प्रार्थना पत्र निवेदन है कि चक 2 आर प.न. 94/331 कि.न. 21 ता 24 के दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम प्रत्येक किला मे 0.010 है0 प.न. 94/331 कि.न. 25 मे दक्षिण दिशा मे पश्चिमी दक्षिण कोने मे 0. 003 है0 रास्ता मंजूर कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

3

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 बाद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

पत्रावली मे प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार चक 2 आर मे प.न. 94/331 कि.न. 1 ता 25 रकबा मौका निरीक्षण किया गया। उक्त रकबा का पांच काश्तकारो ने बहिब उतर से दक्षिण बंटवारा कर रखा है जो जमाबंदी मे दर्ज हो चुका है। इस बंटवारे मे काश्तकारो ने आने हेतु रास्ता नही रखा है। इस कारण प्रार्थी शंकरलाल को अपने कृषि भूमि कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे स्थित है उसमे आने जाने हेतु रास्ता नही है। मौका की स्थिति के अनुसार प. न. 94/331 कि.न. 21ख 22, 23, 24, 25 मे 1½–1½ बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ता की सुविधा को देखते हुए तथा प्रकरण मे वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता नही है, प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अपनी सुविधा के लिए बल्कि प्रार्थीगण द्वारा रास्ता आवश्यकता के लिए मांग की गई इसलिए प्रार्थीगण को रास्ता की आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए स्वीकार किया जाकर चक 2 आर प.न. 94/331 कि.न. 21 ता 24 के दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम प्रत्येक किला मे 0.010 है0, प.न. 94/331 कि.न. 25 मे दक्षिण दिशा मे पश्चिमी कोने मे 0.003 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड मे किया जावें। तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेश की पालनार्थ पत्र जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner